

न्यायालय-मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०:-114/1999

CIS NO. TS-202/2019

ओमप्रकाश आर्य.....वादी
बनाम
हुसनबानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.07.2024	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.10.2023 पर सुना।</p> <p>आदेश (ORDER)</p> <p>प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 11.10.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों की साक्ष्य बंद हो चुका है तथा वाद बहस हेतु नियत है। बहस के दौरान वादी के द्वारा एक दस्तावेज प्रदर्श करने हेतु दाखिल किया गया, जो दिनांक 26.05.2022 के आदेश से श्रीमान् के द्वारा स्वीकार किया गया तथा वादी के द्वारा बेतिया राज के द्वारा निर्गत एक परताली खतियान प्रदर्श कराने हेतु दाखिल किया गया। जिसे दिनांक 07.09.2022 को श्रीमान् के द्वारा स्वीकार किया गया। परताली खतियान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुटरचित दस्तावेज है। जिसे प्रतिवादीगण के द्वारा बेतिया राज से परताली खतियान का जाँच करायी गयी। सूचना के अधिकार के तहत उक्त संबंध में बेतिया राज से सूचना माँगी गयी जो पत्रांक 520 दिनांक 02.01.2023 को प्राप्त हुआ। जिसे प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.02.2023 को उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर रखने एवं प्रदर्श अंकित करने हेतु दाखिल किया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के साक्ष्य को पुनः रिकॉल करने एवं उक्त दाखिल कागजात को स्वीकार कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेंगे।</p> <p>वादी की ओर को प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 01.11.2023 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है बल्कि खाजिर होने योग्य है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित</p>	

न्यायालय-मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०:-114/1999

CIS NO. TS-202/2019

ओमप्रकाश आर्य.....वादी
बनाम
हुसनबानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 24.07.2024</p>	<p>होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.10.2023 मो०-1000 रुपये हर्जे पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपना साक्ष्य केवल दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित कराने हेतु दो तिथि में करावें।</p> <p>आगामी दिनांक 07.08.2024 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--